

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
क्रमांक:- F89/संस्था/LM-01(250)/2023 दिनांक: 13/07/2023


आदेश

श्री चन्दीराम जसवानी, जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यवाहक उपनियंत्रक (विधिक माप, उपभोक्ता मामले विभाग) के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री चन्दीराम जसवानी, जिला रसद अधिकारी को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री चन्दीराम जसवानी, जिला रसद अधिकारी का निलम्बन काल में मुख्यालय कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा रहेगा।


निलम्बन काल के दौरान नियमानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से निर्वाह भत्ता देय होगा।



अतिरिक्त मुख्य सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
मामले विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, उपभोक्ता मामले एवं नियंत्रक, विधिक माप, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
5. जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा।
6. जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा।
7. श्री चन्दीराम जसवानी, निलम्बित को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा के कार्यालय में रखी उपस्थित पंजिका में उपस्थिति अंकित करें।
8. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
9. निजी पत्रावली, श्री जसवानी
10. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त खाद्य आयुक्त
एवं पदेन निदेशक,
उपभोक्ता मामले एवं
नियंत्रक, विधिक माप